

न्यायालय तहसीलदार गडसरोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 28/2019 राजस्थान गैरसायल अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री. सो. गारक पुत्र वा. प्र. राम

पटवारी हल्का रज्जापट

जाति मे. प. ग. ल. निवासी दे. ल. पी.
तहसील गडसरोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडसरोड में पेश हुई गैरसायल की उप. / ~~...~~। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रज्जापट ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम दे. ल. पी. के खसरा नम्बर 2501 रकबा 99.85 बीघा में से. पी. बीघा किरम इ. मु. जोन्वर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमण भूमि से वेवचल करने का आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पूर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर पच्चास रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल हो।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षण भू.आ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/07/19 को सरेआम सुनाया गया।

(1006)
तहसीलदार गडसरोड
तहसीलदार गडसरोड

जुमाना 50 फसल नि. ...
कुल योग 50 जि. के पृष्ठ सं. 26
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया :

(Signature)
पटवारी हल्का